न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 27/2025

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1. सरंपच, ग्राम पंचायत, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही
2. श्री वचनाराम भारती पुत्र श्री छोगा भारती, निवासी–बरलुट, तह0 व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही (प्रार्थी की ओर से)

–: निर्णयः– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07–12–2009 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 07–12–2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158(1) के अन्तर्गत आबादी भूमि में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जाति, स्वच्छकारों, जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरो, श्रम मजदुरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियां, गाडलिया लोहारों जिनके पास गृह या गृहस्थल नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवारों को जिनके मकान बाढ़ में बह गये है या गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दरों पर आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थी वचनाराम का पैतृक मकान ग्राम बरलूट के पुरानी आबादी भूमि में होने के बावजूद भी झूठा विवरण देकर नियम विरूद्ध रियायती दर पर भूमि आवंटित करवाई है। उक्त पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी वचनाराम द्वारा कोई निर्माण नही किया गया है। अप्रार्थी वचनाराम भारती द्वारा भूमिहीन नही होते हुए भी नियम विरूद्ध क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर पट्टा जारी करवाया गया है, जो गांव के मुख्य स्थान पर है एवं आवास के अलावा अन्य प्रयोजन के उद्देश्य से पट्टा जारी करवाया है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, बरलूट द्वारा अप्रार्थी वचनाराम के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07–12–2009 व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर अप्रार्थी वचनाराम के हक में क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 07–12–2009 को निरस्त किया जावे।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी वचनाराम भारती पुत्र श्री छोगा भारती, निवासी– बरलुट को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन का पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 07–12–2009 को जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे पर अंकित अनुसार पंचायत के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 07–12–2009 के अनुसरण में जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक/जिपसि/पंचायत/जांच/2023/2024 दिनांक 20–3–2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री वचना भारती पुत्र छोगा भारती गोस्वामी, निवासी– बरलुट को ग्राम बरलुट में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 07–12–2009 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का आवंटन ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07–12–2019 के प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसरण में किया गया है, लेकिन उक्त आवंटन स्वयं का मकान होने के बावजूद किया गया है एवं श्री वचना भारती पुत्र छोगा भारती, निवासी– बरलुट द्वारा स्वेच्छा से भूमि समर्पण का शपथ पत्र देकर उक्त आवंटित भूमि ग्राम पंचायत, बरलुट का समर्पित कर दी गई है, जिससे आवंटित भूमि ग्राम पंचायत की सम्पति हो गई है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में निष्कर्ष में अंकित बिन्दु संख्या 2 के अनुसार वचना भारती पुत्र श्री छोगा भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट ने झूठा विवरण प्रस्तुत कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत भूमि का आवंटन करवाया है तथा आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को पंचायत के हक में स्वेच्छा से समर्पित कर दी गई है, अब उक्त आवंटित भूमि 900 वर्गफीट भूमि पर उसका कोई हक हकुक नही है। इस प्रकार, उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी वचनाराम भारती पुत्र श्री छोगा भारती, निवासी– बरलुट द्वारा झूठा विवरण प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी वचनाराम भारती पुत्र श्री छोगा भारती, निवासी– बरलुट के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 07–12–2019 को एवं ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी वचनाराम भारती पुत्र श्री छोगा भारती, निवासी– बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 07–12–2009 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * राजस्थान

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)